


07/02/24

पत्रावली पेशी हुई। वाडी कालूराम स्वयं एव  
बकीम वाडी श्री उदकाद-चौधरी उपस्थित हुए  
वाडी श्री कालूराम ने जारी कापि वक्ला श्री  
उदकाद-चौधरी " प्रार्थना पत्र बाबल प्रकर  
विद्वा विपे जाने " प्रारम्भ पेश किया एवं  
निवेदन किया कि वाडी एवं उभवाडी


कालूराम  
7/2/24  
Jalest 89  
पुस्तकालय  
7/2/24

  
सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

07/02/24

श्री अफकी लमडाइए एवं लोके अडामत  
 भीगावना से राजीनामा हो चुका है। बाद में  
 परिवारी के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही  
 नहीं चाहते हैं तथा कोई विवाद शेष नहीं है।  
 अतः राजीनामे के आधार पर बाद विज्ञा प्राप्त  
 पर स्वीकार करने का काम करे। बाकी की  
 पहचान वकीलवादी श्री सुदामा चौधरी ने  
 की। उपर्युक्त प्रार्थना पर एवं बाकी बचे  
 विवाद अनुसार राजीनामा दे जाने से  
 बाद का आगे नहीं चलाना चाहते हैं  
 अतः बाद कारण शेष नहीं रहने पर बाद  
 की आगे चलाने का कोई आशय  
 नहीं रहता। बाकी का ~~कार्यवाही~~ प्रथम पर  
 बाकी बाद विज्ञा स्वीकार किया जाता  
 है। बाकी का बाद विज्ञा स्वीकार होने  
 पर बाद खारिज किया जाता है परन्तु  
 फेराल सुआर है १५ नम्बर से कम धके  
 दाखिल दफतर की

निर्णय आज दिनांक 07/02/24 को  
 उक्त न्यायालय हुआ गया।

  
 सहायक कलक्टर  
 जयपुर शहर प्रथम